


127  
22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अउ।  
वकील प्रार्थी को बार-बार आवाज  
दियायी गयी। वकील प्रार्थी अउ रहे।  
अतः प्रकरण अफ़ हजरी अफ़  
पैरवी में खारिज किया जाय है।  
पत्रावली जैसल शुमा होर नम्बर  
से कम की जाकर दफ़्तार खारिज है।

उप  अधिकारी  
दोसा (राज.)

